राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 48/2013/जोधपुर.

मैसर्स अग्रवाल एल्यूमिनियम, चतुर्थ फेज, बोरानाड़ा, जोधपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर. .....प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राजेन्द्र जैन, अधिकृत प्रतिनिधि ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/02/2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 68(1) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र संख्या उपाजो (कर– I)/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.9.2012 के विरूद्व वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–प्रतिकरापवंचन, जोधपुर द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 10.2.2012 को किये जाने पर व्यवहारी द्वारा रूपये 3,89,500/– का 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल उचन्ति बिक्री करना पाया गया। साथ ही रूपये 4,71,410/– का 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल अधिक पाया गया। करापवंचन का प्रकरण पाये जाने पर प्रकरण वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) को स्थानान्तरित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई हेतु जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा दिनांक 27.2.2012 को अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए करापवंचन की मंशा से माल की बिक्री किया जाना एवं नियमानुसार कर व शास्ति अदा करने की स्वीकारोक्ति की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 25, 61 व 75(8) के तहत आदेश दिनांक 27.2.2012 पारित करते हुए रूपये 3,89,500/--

लगातार.............2

की उचन्ति बिक्री पर 14 प्रतिशत की दर से कर रूपये 54,530/— धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 1,53,266/— एवं अधिक पाये गये माल रूपये 4,71,410/— पर 20 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 94,282/— का आरोपण किया गया। अपीलार्थी ने प्रकरण को प्रशमन कराने हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रार्थना—पत्र दिनांक 19.3.2012 को प्रस्तुत किया। प्रशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से बिना बिल जारी किये माल का विक्रय किये जाने के आधार पर प्रकरण को प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.9.2012 से अपीलार्थी का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रशासनिक अधिकारी ने आदेश को विधिविरूद्ध बताया एवं कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण प्रशमन योग्य होते हुए भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्रशमन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक भूल की गयी है। यह भी कथन किया कि प्रशासनिक अधिकारी ने आवेदन अस्वीकार करने से पूर्व अपीलार्थी को धारा 48 अनुसार सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को प्रशमन हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच में पायी गयी अनियमितता एवं स्वयं अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कर एवं शास्ति का आरोपण किया गया है एवं अपीलार्थी की करापवंचन की मानसिकता/स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.............3

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच में स्पष्ट रूप से यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिना बिल जारी किये, करापवंचन की मंशा से माल का विक्रय किया जा रहा है तथा कर योग्य माल बिना लेखा—पुस्तकों में दर्ज किये, अधिक पाया गया था। इस प्रकार स्पष्ट रूप से करापवंचन का प्रकरण पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए अपना अपराध स्वीकार किया गया है एवं नियमानुसार कर व शास्ति जमा कराने की स्वीकारोक्ति प्रदान की गयी।

उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचन्त बिक्री पर निर्धारित दर से कर एवं शास्ति का आरोपण किया गया है। उक्त कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रकरण को प्रशमन कराने हेतु अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रार्थना—पत्र दिनांक 19.3.2012 को प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.9.2012 को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के स्थापित सिद्धान्तों की अवहेलना में पारित किया जाने से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 के तहत भी व्यवहारी के विरूद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना आज्ञापक है। नियम 48 उद्धरित करना सुसंगत होगा :—

48. Granting opportunity of hearing and recording of reasons.- Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority or officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard.

विधायिका ने वेट अधिनियम का प्रावधान 68 अनावश्यक रूप से न्यायिक प्रक्रिया में फंसने से बचाने हेतु प्रावधित किया गया है। धारा 68 की सुसंगत उपधाराएं इस प्रकार हैं :—

लगातार.............4

68. Composition of offences. –

(1) Where a person or a dealer is charged under this Act with the offence of avoidance or evasion of tax in any manner and at any time; he may make an application in the prescribed form and manner to the Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, admitting his offence and making request therein for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution.

(2) The Deputy Commissioner (Administration) may, whether or not an assessment order under any section of this Act has been passed, accept from the person who made the application under sub–section (1), by way of composition of the offence in lieu of penalty or prosecution a sum equal to of the amount of tax avoided or evaded.

(3) ....

(4) ....

(5) ....

(6) ....

(7) Notwithstanding anything contained in section 82, no appeal shall. lie or subsist against an order of composition made under this Act.

उपधारा (1) के तहत दायर प्रार्थना–पत्र को प्रशासनिक अधिकारी उपधारा (2) के तहत स्वीकार कर सकता है। इस प्रावधान में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के तहत व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के अधिकार प्रदत्त हैं तथा 'may' शब्द उपयोग किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी ने प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश में व्यवहारी के आवेदन को अस्वीकार किया है, लेकिन आदेश से पूर्व व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना विधिक आवश्यकता है। अतः प्रशासनिक अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रशासनिक अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदनकर्ता व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त धारा 68 की भावना के मद्देनजर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
26/02/14